प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सुलतानपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
गोपाल गर्ल्स पब्लिक उच्च प्रा0 वि0
ओमनगर, नगर क्षेत्र, सुलतानपुर।

पत्रांक: 4297-4299/मान्यता (जू0हा0 स्कूल)/2006-07, दिनांक 05 अगस्त, 2006

विषय: **अशासकीय उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को अस्थाई मान्यता दिये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 646/15-6-97-18 एस (7)/89 दिनांक 13.08.97 में उल्लिखित प्राविधानों / शर्तो के आधार पर मण्डलीय सम्भागीय मान्यता समिति के निर्णय / संस्तुति दिनांक 24.07.2006 पर निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाई स्कूल स्तर की) कक्षा 6 से 8 तक की अस्थायी मान्यता ('ब' श्रेणी) उक्त आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में कुल तीन वर्ग ही मान्य होंगे। अतिरिक्त उपवर्गों को संचालित करने हेतु नियमानुसार अनुमति विभाग से प्राप्त करनी होगी। विद्यालय में प्रधानाध्यापक सहित कुल पांच प्रशिक्षित एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त शिक्षक/शिक्षिका (जिनमें एक अध्यापक विज्ञान एवं भाषा का होगा), एक लिपिक तथा एक अनुचर वर्तमान मानक के अनुसार मान्य होंगे।

विभागीय आदेशों/निर्देशों की अवहेलना करने एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गयी मान्यता को वापिस लेने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।

प्रतिबन्धः-

1- विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा (प्राइमरी) स्तर की कदापि न दी जाय और न ही किसी प्रकार की अवैधानिक कक्षाएं ही संचालित की जांय।

2- विद्यालय में केवल प्रशिक्षित एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले अनुमोदित शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनका अनुमोदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया गया हो मान्य होगा।

3- विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढाया जाय।

4- विद्यालय में विभागीय नियमों/आदेशों/निर्देशों एवं बेसिक शिक्षा संहिता आदि में उल्लिखित निर्देशो का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

5- विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान, मंहगाई भत्ता आदि का भुगतान किया जाय जो परिषद के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे हैं। इनका भुगतान चेक द्वारा बैंक में खाता खोलकर बैंक के माध्यम से उनके खाते में अन्तरण द्वारा किया जाय। उल्लंघन की दशा में तत्काल मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

6- विद्यालय में विज्ञान अध्यापक/अध्यापिका की नियुक्ति यदि नहीं की गयी हो तो तत्काल नियुक्ति करके इस कार्यालय को अवगत करायें।

7- क्रीडा क्षेत्र एवं प्रांगण को चारों ओर से समतल कराया जाय तथा चारों ओर वृक्षारोपण किया जाय।

8- विद्यालय के छात्र/छात्राओं से निर्धारित शुल्क ही लिया जाय। समस्त शुल्कों का बैंक/पोस्ट आफिस में खाता खोलकर पासबुकें तथा पंजिकाएं सदैव विद्यालय में सुरक्षित रखी जाय, जिससे विभागीय अधिकारियों द्वारा कभी भी देखा जा सके।

9- शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति में अद्यतन शासनादेश के तहत आरक्षण कोटे का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाय।

भवदीय

Manager
Gopal Public School
Om Nagar-Sultanpur

(डा0 अमरकान्त सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सुलतानपुर।

पृष्ठांकन संख्या: /मान्यता (जू0हा0 स्कूल)/2006-07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
4. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
5. जिला समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग कल्याण अधिकारी, सुलतानपुर।